

राजस्थान सरकार  
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  
(अनुभाग-3, महात्मा गांधी नरेगा)

क्रमांक एफ 1(23)ग्रावि/नरेगा/मेट/2019/पार्ट-1  
जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस एवं,  
जिला कलेक्टर, समस्त राजस्थान।

जयपुर दिनांक -

05 JAN, 2023

विषय: महात्मा गांधी नरेगा कार्यों के सामाजिक अंकेक्षण हेतु प्रशिक्षित ब्लॉक संदर्भ व्यक्तियों (प्रत्येक ब्लॉक में 4) से राज्य के विभिन्न ब्लॉक्स के पेनल में सम्मिलित मेट का प्रशिक्षण करवाये जाने के संबंध में।

संदर्भ: विभागीय पत्र क्रमांक एफ 5(21) ग्रावि/नरेगा/जनरल/2022-23/4012  
दिनांक 19.12.2022

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित पत्र द्वारा महात्मा गांधी नरेगा कार्यों के सामाजिक अंकेक्षण हेतु प्रशिक्षित ब्लॉक संदर्भ व्यक्तियों (प्रत्येक ब्लॉक में 4) से राज्य के विभिन्न ब्लॉक्स के महात्मा गांधी नरेगा मेट पेनल में सम्मिलित मेट का प्रशिक्षण करवाये जाने के क्रम में निर्देश प्रदान किये गये थे।

प्रशिक्षित ब्लॉक संदर्भ व्यक्तियों द्वारा ब्लॉक्स में स्वयं मेट के रूप में प्रशिक्षण (दिसम्बर 2022 द्वितीय पखवाड़े) प्राप्त करने के पश्चात प्रत्येक प्रशिक्षित ब्लॉक संदर्भ व्यक्ति द्वारा उसी ब्लॉक में दो पखवाड़ों (माह जनवरी 2023 के दोनों पखवाड़ों) की अवधि के दौरान पेनल में शामिल मेटों को प्रशिक्षण प्रदान किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था।

माह जनवरी 2023 में उक्त ब्लॉक संदर्भ व्यक्तियों के माध्यम से महात्मा गांधी नरेगा योजना एवं अन्य योजनान्तर्गत हुए कार्यों के सामाजिक अंकेक्षण हेतु पूर्व में संयुक्त आयुक्त, सह निदेशक, सामाजिक अंकेक्षण राजस्थान के पत्र दिनांक 07.10.2022 द्वारा कलेण्डर जारी किया गया है।

अतः महात्मा गांधी नरेगा योजना के सामाजिक अंकेक्षण कार्यक्रम की प्राथमिकता के दृष्टिगत राज्य के विभिन्न ब्लॉक्स के महात्मा गांधी नरेगा मेट पेनल में सम्मिलित मेट का प्रशिक्षण कार्यक्रम माह जनवरी 2023 के दोनों पखवाड़ों के स्थान पर माह फरवरी द्वितीय पखवाड़ा एवं माह मार्च द्वितीय पखवाड़ा 2023 में आयोजित किया जाना सुनिश्चित करावें। प्रशिक्षण की शेष प्रक्रिया पूर्वानुसार ही रहेगी।

(शिवांगी स्वर्णकार)  
आयुक्त, ईजीएस


कमांक एफ 1(23)गावि/नरेगा/मेट/2019/पार्ट-1

जयपुर दिनांक -

05 JAN, 2023

प्रतिलिपि :-

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, गावि एवं पंरावि।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
3. संयुक्त आयुक्त (RSPAA), सह निदेशक, सामाजिक अंकेक्षण राजस्थान को आपके यूओ नोट कमांक 10663-64 दिनांक 26.12.2022 के कम में सूचनार्थ।
4. वित्तीय सलाहकार, ईजीएस।
5. अधीक्षण अभियंता, ईजीएस।
6. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक ईजीएस एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त राजस्थान।
7. श्री निखिल डे/पारस बंजारा, सूचना एवं रोजगार अधिकार अभियान, जयपुर को प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जाने के संबंध में सहयोग प्रदान किये जाने हेतु सूचनार्थ प्रेषित है।
8. विकास अधिकारी, पंचायत समिति समस्त राजस्थान।
9. रक्षित पत्रावली।



परि.निदे.एवं उप शासन सचिव, ईजीएस